

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

33/2010

14.09.2010

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

- 1-रामराय पुत्र रामकिशोर जाति ब्राहमण निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
 - 2-रामेश्वर पुत्र रामकिशोर जाति ब्राहमण निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
 - 3-रामकिशन पुत्र रामकिशोर जाति ब्राहमण निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
 - 4-रामजीलाल पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
 - 5-रामसहाय पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
- प्रार्थीगण

बनाम

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
 - 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- उपस्थित (1) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रामधन सैनी, व श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 11.07.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण में ग्राम बरथल तहसील निवाई की भूमि ख0नं0 593,600,601 व 683 में से 14800 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर की परिधि की भूमि की डीएलसी दर एवं प्रार्थीगण की भूमि में कुल 15 हरे पेड़ लगे हुये थे का मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवाई 366,367,368,369/09 दिनांक 02.06.2010 को निरस्त कर राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर की परिधि की भूमि की दर से भूमि का एवं भूमि में कुल 15 हरे पेड़ लगे हुये थे का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवाई पत्रावली 366,367,368,369/09 दिनांक 02.06.2010 तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।



- 789 -

आरबीट्रेटर N.H.-12

(जिला कलेक्टर)

टोंक (रा.ज.)



अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0न0 593,600,601 व 683 में से कुल रकबा 14800 वर्गमीटर वाके ग्राम बरथल में अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी-1 राजस्व रिकार्ड में अंकित थी, प्रार्थीगण को 800 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा सडक के नजदीक व शेष अवाप्तशुद्धा भूमि को सडक सीमा से 200 मीटर अधिक दूरी से मानते हुये अवार्ड का निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 593,600,601 व 683 में से 14800 वर्गमीटर, किस्म जमीन बारानी-1 वाके ग्राम बरथल का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुद्धा भूमि का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर की परिधि की भूमि का डी0एल0सी0 दर से एवं भूमि में कुल 15 हरे पेड लगे हुये थे, का मुआवजा चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर की परिधि में भूमि होने बावत एवं भूमि पर पेड-पोधे लगे हुये बाबत कोई साक्ष्य-सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



चि-2221
(चिन्मयी गोपाल)
आरक्षक N.M. 12-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)